न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 3/2023 वाद
GCMS No. – 2023/14

1. परसराम पुत्र रोडा जी जाति आंजना आयु वयस्क निवासी मरजीवी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज० मो0नं0 7726841856

–वादी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र रोडा जी जाति आंजना आयु वयस्क निवासी मरजीवी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
2. गणपत पुत्र रोडा जी जाति आंजना आयु वयस्क निवासी मरजीवी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. रमेश पुत्र रोडा जी जाति आंजना आयु वयस्क निवासी मरजीवी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
4. लक्ष्मण पुत्र रोडा जी जाति आंजना आयु वयस्क निवासी मरजीवी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. भूमिधारी तहसीलदार साहब निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955</u>

उपस्थित :– 1– श्री शम्भूलाल तेली – अधिवक्ता वादीगण

:: **निर्णय** :: दिनांक :– 08.10.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वाके ग्राम मरजीवी पटवार हल्का मरजीवी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के खाता नं० 383 की आराजी नं0 333 रकबा 0.1200 हे० लगानी 60 पैसा, आराजी नं0 334 रकबा 0.0100 हे० गे०मु०चाह, आराजी नं0 335 रकबा 0.8400 है० लगानी 15 रुपये 96 पैसा. आराजी नं० 555 रकबा 0.0400 हे० गे०मु०बाडा० कु[illegible]100 हेक्टेयर कुल लगानी 16 रुपये 56 पैसा स्थित हैं। साक्ष्य में नकल [illegible] हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:38:12 IST
Reason: SelfAttested

2. वादग्रस्त आराजीयात वादी [illegible] संयुक्त स्वामित्व अ[illegible] की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात हैं वादग्रस्त आराजीयात [illegible]वादी की अन्य पैतृ[illegible]जीयात का बटवारा वादी के पिता जीवन काल में की कर दिया गया था तथा वादग्रस्त आराजीयात

वादी को भाई बटवारे से प्राप्त हुई जिस पर वादी अपने पिता के समय से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी के पिता के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजीयात विरासत से रोडा जी के विधिक वारिसान के नाम दर्ज रेकार्ड हो गई जबकि उक्त सम्पूर्ण आराजीयात पर वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है जिस पर वादी के अलावा अन्य किसी को कोई हक हिस्सा व कब्जा नही हैं। वादी ने प्रतिवादीगणो को वादग्रस्त आराजीयात वादी के अकेले के नाम घोषित करा प्रतिवादी नं० 1 से 4 का नाम विलोपित कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे है और वादी के अकेले के नाम घौषित कराने से इंकार हो गये है इसलिए वादी वादग्रस्त आराजीयात अपने अकेले के नाम घौषित करा कर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हैं तथा प्रतिवादी नं० 1 से 4 का नाम विलोपित कराने का अधिकारी हैं।

3. प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को पूर्व में कई अवसर देने के उपरान्त जवाब बन्द किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में परसराम का शपथ पत्र पेश किया तथा वकील वादी की गवाह पेश नहीं करने से साक्ष्य बन्द की गई। उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादी के नाम घौषित कराने के संबंध में वादी अपने पक्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजी व मोखिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं है।

–:आदेश –

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:38:12 IST
Reason: SelfAttested